राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

माघ 7, मंगलवार, शाके 1936–जनवरी 27, 2015

Magh 7, Tuesday, Saka 1936–January 27, 2015

सत्यमेव जयते

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2015

***जी.एस.आर 50*:–** राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे।

2. *नियम 3 का संशोधन*.– राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात् और विद्यमान उप–नियम (4) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप–नियम (3क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(3क) उप–नियम (1), (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवेदक एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल में इलेक्ट्रोनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, पन्द्रह दिन के भीतर, नोडल एजेंसी को हार्ड प्रति में अपेक्षित प्ररूप प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आवेदन के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से हटा दिया जायेगा।"

(ii) विद्यमान उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (6) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(6) राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2014 के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए उद्यम राजस्थान एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन फाइल करेंगे।"

3. नियम 5 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 5 के उप–नियम (2) में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''अध्यपेक्षा पत्र, आवेदनों की कार्यवाही के दोनों ही मामलों में अर्थात् इलेक्ट्रोनिक रूप से या भौतिक रूप से, नोडल एजेंसी के माध्यम से भेजा जायेगा।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अध्यपेक्षा पत्र, आवेदनों की कार्यवाही के दोनों ही मामलों में अर्थात् इलेक्ट्रोनिक रूप से या भौतिक रूप से, नोडल एजेंसी की प्रज्ञापना के अधीन सीधे ही विनिधानकर्त्ता को भेजा जायेगा।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति, ''नोडल एजेंसी को समय–सीमा की गणना करते हुए अतिरिक्त जानकारी भेजेगा,'' के स्थान पर अभिव्यक्ति, ''नोडल एजेंसी की प्रज्ञापना के अधीन सक्षम प्राधिकारी को समय–सीमा की गणना करते हुए अतिरिक्त जानकारी भेजेगा,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति, ''गणना नहीं की जायेगी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति, ''गणना नहीं की जायेगी और यदि आवेदक साठ दिन के भीतर अपेक्षित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आवेदन के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से हटा दिया जायेगा।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 8 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 8 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''` 10.00 करोड़ तक के विनिधान प्रस्तावों'' के स्थान पर अभिव्यक्ति, ''` एक करोड़ से ` 10.00 करोड़ तक के विनिधान प्रस्तावों'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. अनुसूची–1 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

''अनुसूची–1
(नियम 6 देखिये)
विभिन्न अनुज्ञाओं/अनुज्ञापनों के लिए समय–सीमा

क्र. सं.	संबंधित विभाग /संगठन			अनुज्ञा/अनुज्ञापन	समय–सीमा (कार्य दिवस के भीतर)
1	2	3	4	5	6
1.	श्रम और नियोजन विभाग 1. कारखाना और बायलर्स निरीक्षणालय	(क)		कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना अभिन्यास योजना का अनुमोदन	नक्शे सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन

1	2	3	4	5	6
		(ख)		फील्ड कार्यालय द्वारा कारखाना चलाने के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन पश्चात्
		(ग)		मुख्य बायलर निरीक्षक द्वारा बायलर का रजिस्ट्रीकरण	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्
			(i)	अंतरिम आदेश	30 दिन
			(ii)	अंतिम आदेश	45 दिन
	2.श्रम विभाग	(क)		मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	15 दिन
		(ख)		ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन	
			(i)	प्रमुख नियोजक अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	30 दिन
			(ii)	ठेका श्रमिकों के नियोजन के लिए ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	15 दिन
		(ग)		भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	15 दिन
2.	राजस्व विभाग	(क)		भूमि संपरिवर्तन – राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन	समय बचाने के लिए, राजस्व विभाग, जयपुर की प्रज्ञापना के अधीन आवेदनों का संबंधित जिला कलक्टर को सीधे

1	2	3	4	5	6
				भूमि–उपयोग का संपरिवर्तन	ही भेजा जाना। राजस्व विभाग आनलाईन रसीद जारी करेगा और आवेदन की प्रास्थिति आनलाईन अद्यतन करेगा। शीघ्र कार्रवाई के लिए सभी संसूचनाएं प्रमुख शासन सचिव, राजस्व को संबोधित की जायेंगी।
			(i)	10 हैक्टर तक	जिला कलक्टर को पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने से 60 दिन
			(ii)	10 हैक्टर से अधिक.	राज्य सरकार को पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने से 90 दिन.
		(ख)		भूमि आवंटन – राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन) नियम, 1959 के अधीन	राज्य में कहीं भी वृहद उद्योग की स्थापना और जयपुर में किसी अन्य उद्योग की स्थापना के लिए औद्योगिक भूमि के आवंटन का आवेदन उद्योग विभाग द्वारा प्रक्रियागत होगा।
			(i)	जिला स्तर पर किये जाने वाले आवंटन की दशा में	जिला कलक्टर को पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने से 60 दिन
			(ii)	सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होने की दशा में	राज्य सरकार को पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने से 90 दिन

1	2	3	4	5	6
		(ग)		भूमि अधिकतम सीमा से छूट	जिला कलक्टर के कार्यालय में आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से राज्य सरकार के स्तर पर 60 दिन
		(घ)		किसी विहित अकृषिक भूमि के लिए उसे लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के आधिक्य में भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन	जिला कलक्टर के कार्यालय में आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से राज्य सरकार के स्तर पर 60 दिन
3.	ऊर्जा विभाग (जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.)	(क)		कनेक्शन जारी किया जाना (जहां वितरण साधन (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) में कोई विस्तार अपेक्षित नहीं है)	
			(1)	कनेक्शन का जारी किया जाना स्पष्टीकरण : (i) यदि विद्युत का एल. टी. प्रदाय किसी परिसर को, किसी विद्यमान ओवर हैड लाइन या भूमिगत केबल, जहां केबल बाक्स, जंक्शन बाक्स, पिलर बाक्स इत्यादि उपलब्ध हैं, विद्यमान सर्विस लाइन से या 50 मीटर तक की सर्विस लाइन बिछाने द्वारा उपलब्ध कराया	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से एक मास के भीतर

1	2	3	4	5	6
				जा सकता है तो वितरण साधन (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) में विस्तार अपेक्षित नहीं समझा जायेगा। (ii) किसी परिसर को विद्युत के एच टी प्रदाय के मामले में, वितरण प्रणाली में संवर्धन अपेक्षित समझा जायेगा और इसके अधीन खण्ड (ख) और (ग) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।	
		(ख)		प्रदाय जहां वितरण साधन (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) का विस्तार अपेक्षित है	
			(1)	अतिरिक्त व्ययों के निक्षेप के लिए आवेदक को नोटिस	आवेदन की प्राप्ति के एक मास के भीतर (एक मास की कालावधि के लिए)
			(2)	जहां वितरण साधन (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) का विस्तार अपेक्षित है किंतु किसी अतिरिक्त राशि का निक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है	निगम 15 दिन के भीतर विस्तार कार्य पूर्ण करेगा।
			(3)	निगम आवेदक द्वारा अतिरिक्त राशि के निक्षेप के पश्चात् विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट समय के भीतर वितरण साधन (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) के विस्तार को पूर्ण करेगा	

1	2	3	4	5	6
			(i)	एल.टी. लाईन	15 दिन
			(ii)	11 के.वी. लाईन–प्रथम 5 किमी. अगले प्रत्येक 5 किमी.	30 दिन 15 दिन
			(iii)	33 के.वी. लाईन–प्रथम 5 किमी. अगले प्रत्येक 5 किमी.	60 दिन 30 दिन
			(iv)	132 के.वी. लाईन–प्रथम 5 किमी. अगले प्रत्येक 5 किमी.	180 दिन 45 दिन
					टिप्पण : विस्तार कार्य के पश्चात्, लगाये जाने के निरीक्षण के पश्चात् 15 दिन के भीतर कनेक्शन जारी किया जायेगा
		(ग)		प्रदाय जहां नया उप–केन्द्र या ट्रांसफारमर उप–केन्द्र का संवर्द्धन अपेक्षित है	
			(1)	प्रदाय जहां नया उप–केन्द्र कमीशन किया जाना है	निगम आवेदन की प्राप्ति के दो मास के भीतर, उपभोक्ता को कार्य के प्रारंभ होने की तारीख से सूचित करेगा और नीचे विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करेगा।
			(i)	11/0.4 के.वी. उप–केन्द्र	30 दिन
			(ii)	33/11 के.वी. उप–केन्द्र	120 दिन
			(iii)	33/11 के.वी. उप–केन्द्र पर बे का विस्तार	30 दिन

1	2	3	4	5	6
			(iv)	132/33/11 के.वी. उप–केन्द्र	12 मास
			(v)	132 के.वी. उप–केन्द्र पर बे का विस्तार	45 दिन
			(2)	प्रदाय, जहां ट्रांसफारमर उप–केन्द्र क्षमता का संवर्द्धन अपेक्षित है	
			(i)	11/0.4 के.वी. उप–केन्द्र	15 दिन
			(ii)	33/11 के.वी. उप–केन्द्र	60 दिन
			(iii)	132/33/11 के.वी. उप–केन्द्र	6 मास
				उप–केन्द्र के कार्य के प्रारंभ होने के पश्चात् (i) उपभोक्ता को सूचना यदि आवेदक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि निक्षिप्त की जानी है।	कार्य के प्रारंभ होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर।
				सूचना–	
				निक्षेप का समय–	एक मास या ऐसी विस्तारित कालावधि जैसी निगम अनुज्ञात करे।
				कनेक्शन का जारी किया जाना–	उप–केन्द्र के कमीशन के 15 दिन के भीतर।
		(घ)		उन परिक्षेत्रों में प्रदाय जहां प्रदाय के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है	जब एक बार ऐसे परिक्षेत्रों का विद्युतीकरण पूर्ण हो जाता है तब आवेदक को प्रदाय जैसा उसको लागू

1	2	3	4	5	6
					हो, उपर्युक्त उप–खण्ड (क) से (ग), के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगा।
		(ङ)		प्रदाय जहां विद्युत लाईन/संयंत्र आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाया गया है	निगम, कार्य पूर्ण होने के संबंध में आवेदक द्वारा दी गयी सूचना के 15 दिन के भीतर विद्युत का प्रदाय उपलब्ध करवायेगा।
4.	पर्यटन	(क)		परियोजना अनुमोदन	पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिन
5.	रीको	(क)		औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन	क1–30 दिन क2–30 दिन क3–30 दिन 3 (डब्ल्यू)–90 दिन
6.	कृषि/कृषि विपणन विभाग	(क)		उर्वरक--निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा/प्राधिकार/विनिर्माण प्रमाण–पत्र क. उर्वरक–100 प्रतिशत जल विलेय /सूक्ष्म कण मिश्रण ख. जैव–उर्वरक ग. कार्बोनिक उर्वरक–कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट (i) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 9 के अधीन विक्रय प्राधिकार (ii) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 15 के अधीन विनिर्माण प्रमाण–पत्र	30 दिन 45 दिन

1	2	3	4	5	6
		(ख)		फिटो – सेनेट्री प्रमाणपत्र	प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् 5 दिन
7.	नगरीय विकास विभाग (ज.वि.प्रा. / न.सु.न्यासों)	(क)		संपरिवर्तन के लिए कृषि भूमि की 90 ए	45 दिन
		(ख)		आवासीय से वाणिज्यिक में भूमि उपयोग का संपरिवर्तन	151 दिन
		(ग)		संस्थागत भूखण्डों के लिए पट्टा विलेख का जारी किया जाना	36 दिन
		(घ)		लाटरी / नीलाम के माध्यम से भूमि आवंटन और नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अनुदेश दिनांक 04–1–2010 के अधीन सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / संस्थाओं और अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में दी गयी विकसित भूमि के आवंटन को छोडकर संस्थागत भूमि का आवंटन	90 दिन
		(ङ)		सभी प्रकार के संस्थागत भवनों के भवन नक्शों का अनुमोदन	60 दिन

[संख्या एफ.14 (5) उद्योग / 1 / 2010]
राज्यपाल के आदेश से,
इकबाल खान
संयुक्त शासन सचिव।

INDUSTRIES (Gr. I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 22, 2015

G.S.R. 50.-In exercise of the powers conferred by section 21 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called The Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Rules, 2011, herein after referred to as the said rules,-

(i) after the existing sub-rule (3) and before the existing sub-rule (4), the following new sub-rule (3A) shall be inserted, namely:-

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2) and (3), the applicant after submitting application electronically in Single Window System Portal, shall submit, within fifteen days, the requisite forms in hard copy to the Nodal Agency and if he fails to do so, his registration for application shall be dropped from the system."

(ii) after the existing sub-rule (5), the following new sub-rule (6) shall be added, namely:-

"(6) For seeking benefits under Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2014, the enterprises shall file their applications through Rajasthan Single Window Clearance System Portal."

3. Amendment of rule 5.- In sub-rule (2) of rule 5 of the said rules,-

(i) for the existing expression "the requisition letter shall be sent through the Nodal Agency", the expression "the requisition letter shall be sent to the investor directly under intimation to Nodal Agency" shall be substituted.

(ii) for the existing expression "the additional information to the nodal agency", the expression " the additional information to the Competent Authority under intimation to the Nodal Agency" shall be substituted.

(iii) for the existing expression "shall not be counted.", the expression "shall not be counted and in case applicant fails to submit the requisite additional information within sixty days, his registration for application shall be dropped from the system." shall be substituted.

4. Amendment of rule 8.- In sub-rule (1) of rule 8 of the said rules, for the existing expression "proposals up to Rs. 10.00 crores", the expression "proposals from Rs. 1 crore to Rs. 10.00 crores" shall be substituted.

5. Substitution of Schedule-I.- The existing Schedule-I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"Schedule-I

(See rule 6)

Time Limit for Various Permissions/Clearances

S. NO.	CONCERNED DEPARTMENTS / ORGANIZATION			PERMISSIONS/ CLEARANCES	TIME LIMIT (WITHIN WORKING DAYS)
1	2	3	4	5	6
1.	Labour & Employment Department I. Factories and Boilers Inspectorate	a)		Approval of factory layout plan under Factories Act, 1948	30 days from date of submission of complete application along with map
		b)		License for running the factory to be issued by the field office	90 days after receipt of complete application
		c)		Registration of Boiler by Chief Inspector of Boilers	After the receipt of complete application
			i)	Provisional order	30 days
			ii)	Final order	45 days

1	2	3	4	5	6
	II. Labour Department	a)		Registration of Establishments under the Motor Transport Workers Act, 1961	15 days
		b)		Under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970	
			i)	Registration of Principal Employers Establishments	30 days
			ii)	Issuance of Licence to Contractor for employment of contract labours	15 days
		c)		Registration of Establishments under the Building and Other Construction Workers (Regulation of. Employment and Conditions of Services) Act, 1996	15 days
2.	Revenue Department	a)		Land conversion—Conversion of land use under Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007	Sending applications directly to the concerned District Collectors under intimation to Revenue Department, Jaipur, to save time. Revenue Department would issue on line receipt and update online status of the

1	2	3	4	5	6
					application. All communication would be addressed to Principal Secretary, Revenue for early action.
			i)	up to 10 hectares	60 days from submission of completed application to District Collector
			ii)	above 10 hectares	90 days from submission of completed application to State Government
		b)		Land Allotment—under Rajasthan Land Revenue (Industrial Area Land Allotment) Rules, 1959	Industrial land allotment application for setting up of a large scale industry any where in the State and setting up of any other industry in Jaipur, shall be processed by Industries Department.
			i)	In case allotment is to be made at the District level	60 days from submission of completed application to District Collector
			ii)	In case Government's approval is required	90 days from submission of completed application to State Government
		c)		Exemption from the land ceiling limit	60 days at the level of State

1	2	3	4	5	6
					Government from the date of submission of application in the District Collector's office
		d)		Prior approval of the State Government or authority appointed by it for acquiring land in excess of the ceiling area applicable to him for any prescribed non-agricultural land	60 days at the level of State Government from the date of submission of application in the District Collector's office
3.	Energy Department (Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Ltd.)	a)		Release Connection (where no extension in Distribution Mains is required)	
			1)	Release of Connection Explanation: i) If LT supply of electricity can be provided to a premises by existing service line or by laying service line up to 50 meters, from an existing overhead line or underground cable where a cable box, junction box pillar box etc. has been provided, the distribution mains shall be deemed to require no extension. ii) In case of HT supply of electricity	Within one month of the receipt of completed application

1	2	3	4	5	6
				to a premises, the distribution system *shall be deemed* to require augmentation and procedure laid down in Clauses b) & c) hereunder shall be followed.	
		b)		Supply where *distribution mains* require extension	
			1)	Notice to the applicant to deposit additional expenses	Within one month of the receipt of application (for a period of one month)
			2)	Where extension of distribution mains is required but no additional sum is *required* to be deposited	The Nigam shall complete the extension work within 15 days
			3)	The Nigam shall complete the extension of distribution mains within the time specified below for different voltage levels after deposit of additional sum by *the applicant*	
			i)	L.T. line	15 days
			ii)	11 KV line-first 5 Km Next 5 Km each	30 days 15 days
			iii)	33 KV line-first 5 Km Next 5 Km each	60 days 30 days
			iv)	132 KV line-first 5 Km Next 5 Km each	180 days 45 days

1	2	3	4	5	6
					Note: After extension work, connection will be released within 15 days after *inspection of the installation.*
		c)		*Supply where new sub-station or augmentation of transformer sub-station is required*	
			1)	Supply where new substation is to be commissioned	The Nigam will intimate within two month of receipt of application, the date of commencement of work, to the consumer and complete the work within time limit specified below
			i)	11/0.4 KV sub-station	30 days
			ii)	33/11 KV sub-station	120 days
			iii)	Extension of bay at *33/11 KV sub-station*	30 days
			iv)	132/33/11 KV sub-station	12 month
			v)	Extension of bay at 132 KV *sub-station*	45 days
			2)	*Supply where augmentation of transformer sub-station capacity is* required	
			i)	11/0.4 KV sub-station	15 days
			ii)	33/11 KV sub-station	60 days
			iii)	132/33/11 KV sub-station	6 months

1	2	3	4	5	6
				After commencement of work of sub-station i) Intimation to the consumer if any additional sum is to be deposited by the applicant. Intimation—	 Within 15 days after commencement of work.
				Time of deposition—	1 month or such extended period as the Nigam may allow.
				Release of connection—	Within 15 days of commissioning of sub-station.
		d)		Supply in localities where no provision for supply exists	Once electrification of such locality is completed supply shall be provided to the applicant in accordance with the provisions of sub-clauses a) to c) above as may be applicable to him.
		e)		Supply where electric line/plant is provided by applicant	The Nigam shall provide supply of electricity within 15 days of intimation given by the applicant regarding completion of work.

1	2	3	4	5	6
4.	Tourism Department	a)		Project Approval	45 days from the date of submission of complete application
5.	RIICO	a)		Allotment of plots in Industrial Areas	A1—30 days A2—30 days A3—30 days 3(w)—90 days
6.	Agriculture / Agriculture Marketing Department	a)		Fertilizer—Permission/ Authorization/Manufacturing Certificate for— Fertilizer—100% water soluble/micro particle mixture b. Bio-Fertilizer Carbonic Fertilizer—Compost/wormy compost Sale authorization under Section 9 of Fertilizer (Control) Order, 1985 Manufacturing Certificate under Section 15 of Fertilizer (Control) Order, 1985	30 days 45 days
		b)		Phyto-Sanitary Certificate	5 days after receipt of test report from laboratory
7.	UDH Department (JDA/UITs)	a)		90A of Agriculture Land for conversion	45 days
		b)		Conversion of land use from residential to commercial	151 days
		c)		Issuance of Lease Deed for institutional plots	36 days

1	2	3	4	5	6
		d)		Allotment of institutional land except the allotment of land through lottery/auction and of the developed land given as compensation for Government/Semi-Government departments/ institutions and acquired land—under instruction of Urban Development and Local Self Department dated 4.1.2010	90 days
		e)		Building map approval of all kinds of institutional buildings	60 days

"

[No. F.14(5)Udyog/1/2010]
By Order of the Governor,
Iqbal Khan,
Joint Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.